

## आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्रमांक/एफ-20-3/2009/25-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 जुलाई, 2014 को अतिष्ठित करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 संशोधन नियम, 2016 के नियम 16 के अंतर्गत निम्नानुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिटारिंग समिति का पुनर्गठन करता है।

1.	मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	पदेन सदस्य
4.	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	पदेन सदस्य
5.	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामोद्योग, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.	सदस्य
6.	मान. श्री दयालदास बघेल, मंत्री, सहकारिता, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग	सदस्य
7.	मान. श्री रामविचार नेताम, राज्य सभा सदस्य	सदस्य
8.	मान. श्रीमती कमला पाटले, लोक सभा सदस्य	सदस्य
9.	मान. श्री विक्रम उसेण्डी, लोक सभा सदस्य	सदस्य
10.	मान. श्री दिनेश कश्यप, लोक सभा सदस्य	सदस्य
11.	मान. श्री राजशरण भगत, विधायक, जशपुर एवं उपाध्यक्ष सरगुजा विकास प्राधिकरण (राज्यमंत्री दर्जा).	सदस्य
12.	मान. श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव, वाणिज्यिक कर, नगरीय प्रशासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.	सदस्य
13.	मान. श्रीमती चम्पादेवी पावले, संसदीय सचिव, वन विधि एवं विधायी कार्य विभाग	सदस्य
14.	मान. श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग.	सदस्य
15.	मान. डॉ. सनम जांगड़े, विधायक, बिलाईगढ़	सदस्य
16.	मान. श्री नवीन मारकण्डेय, विधायक, आरंग	सदस्य
17.	मान. श्रीमती सरोजनी बंजारे, विधायक, डोंगरगढ़	सदस्य
18.	मान. श्री रोहित कुमार साय, विधायक, कुनकुरी	सदस्य
19.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	पदेन सदस्य
20.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	पदेन सदस्य
21.	पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़	पदेन सदस्य
22.	निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	पदेन सदस्य
23.	निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	पदेन सदस्य
24.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक सचिव (अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग).	पदेन सदस्य/संयोजक

2. यह समिति अधिनियमों के अंतर्गत उपबंधों के कार्यान्वयन, अधिनियम के अध्याय 4 क की धारा 15 क की उपधारा (11) यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अभिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों जिनके अंतर्गत नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी की रिपोर्ट भी है, का पुनर्विलोकन कर सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.



-/ 2 /-

- §21§ मुख्य सचिव, उत्तरीसगढ़ शासन तदस्थ
- §22§ अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तरीसगढ़ शासन तदस्थ  
गृह विभाग.
- §23§ मुलित महानिदेशक, उत्तरीसगढ़ राज्य तदस्थ
- §24§ निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तदस्थ  
जनजाति आयोग, उत्तरीसगढ़ राज्य
- §25§ सचिव, उत्तरीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनु० तदस्थ/संयोजक  
जाति विकास विभाग

यह समिति अधिनियमों के अंतर्गत उपबन्धों के कार्यान्वयन, पीडित व्यक्तियों को दो गद्द राहत और पुर्नवास सुविधा तथा उसके संबंधित अन्य मामले तथा अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों और अधिकरणों की भूमिका तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों पर विचार कर सकेगी ।

उत्तरीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

§ पी०ती०दलेई §  
सचिव

उत्तरीसगढ़ शासन  
आदिमजाति तथा अनु० जाति विकास विभाग

4

क्रमसं: 11311

सूटा.क.डी-5145/सटी/सली/2004, रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 04  
प्रतिनिधि :-

- 1- सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर [छत्तीसगढ़]
- 2- निज सचिव, मंत्री, आदिम जाति तथा अनुचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर [उ०ग०]
- 4- तमस्त प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
- 5- सचिव, विधान तथा सचिवालय, रायपुर ।
- 6- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुचित जाति विकास, रायपुर
- 7- सतर्कता गार्निट्रिंग, मर्मित के तमस्त माननीय तदस्थान -----  
-----  
-----
- 8- तमस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
- 9- निर्यंत्रक, केन्द्रीय शासकीय मुद्रालय, राजनादिगावि की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
- 10- संचालक, जनसम्पर्क, संचालनालय, रायपुर की ओर प्रकाशनार्थ ।
- 11- आर्ख कु ।

*(Signature)*  
 [पी.सी.डी.ए.डी.]  
 विशेष सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 आ.जा. तथा अ.जा.वि.विभाग

प्रशिक्षित 31

189

**छत्तीसगढ़ शासन,**  
**जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग**  
**मंत्रालय**  
**दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर**  
**-//अधिसूचना//-**


रायपुर, दिनांक 25 फरवरी, 2009

क्रमांक/एफ-20-3 /2009/25-2/आजावि : राज्य शासन, एतद् द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्रमांक/डी-5145/एसटी/एससी/2004 दिनांक 23 अगस्त, 2004 को अतिष्ठित करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति ( अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम, 16 के अंतर्गत निम्नानुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिट्रिंग समिति का पुनर्गठन करता है:

क्र.	नाम	पद
1.	मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	सदस्य
4.	मान. श्री पुत्रूलाल मोहले, विधायक, मुंगेली	सदस्य
5.	मान. श्री राम विचार नेताम, विधायक, पाल	सदस्य
6.	मान. श्री विक्रम उसेंडी, विधायक, अंतागढ़	सदस्य
7.	मान. श्री फूलचंद सिंह, विधायक, भरतपुर-सोनहत	सदस्य
8.	मान. श्री रामदेव राम, विधायक, लुण्डा	सदस्य
9.	मान. श्री भरत साय, विधायक, कुनकुरी	सदस्य
10.	मान. श्री ओम प्रकाश राठिया, विधायक, धर्मजयगढ़	सदस्य
11.	मान. डॉ. कृष्ण मूर्ति बाँधी, विधायक, मस्तूरी	सदस्य
12.	मान. श्री दूजराम बौद्ध, विधायक, पामगढ़	सदस्य
13.	मान. श्री डमरुधर पुजारी, विधायक, बिन्द्रानवागढ़	सदस्य
14.	मान. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, विधायक, डोंडीलोहारा	सदस्य
15.	मान. श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, विधायक, अहिवारा	सदस्य
16.	मान. श्री दयालद आस बघेल, विधायक, नवागढ़	सदस्य
17.	मान. श्री रामजी भारती, विधायक, डोंगरगढ़	सदस्य
18.	मान. श्री ब्रम्हानंद, विधायक, भानुप्रतापपुर	सदस्य
19.	मान. श्री सेवकराम नेताम, विधायक, केशकाल	सदस्य
20.	मान. श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर	सदस्य
21.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	सदस्य
22.	अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	सदस्य
23.	पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़	सदस्य
24.	निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनु. जाति जन जाति आयोग	सदस्य
25.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	सदस्य/संयोजक

2- यह समिति अधिनियमों के अंतर्गत उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधा तथा उससे संबद्ध अन्य मामले तथा अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों और अधिकरणों की भूमिका तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों पर विचार कर सकेगी।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम :  
तथा आदेशानुसार**

  
(**डॉ. अनिल चौधरी**)  
उप सचिव

पू. क्रमांक/एफ-20-3 /2009/25-2/आजावि  
प्रतिलिपि,

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी, 2009

1. मान. मुख्य मंत्री के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर
4. विशेष सहायक, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. विशेष सहायक, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
6. विशेष सहायक, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
7. निज सचिव, मान. संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
8. मान. विधायक श्री .....
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
10. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर
11. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर
12. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, पुलिस मुख्यालय, रायपुर
13. उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
14. उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
15. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर.
16. आयुक्त, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर.
17. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़.
18. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
19. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, राजनौदगाँव की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ.
20. आर्डर बुक

  
उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन

-/c

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग**  
 मंत्रालय  
 दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

-अधिसूचना-

31 MAY 2012  
 रायपुर, दिनांक ..... मई, 2012

क्रमांक एफ-20-3/25-2/2009/आजावि : विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2009 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 16 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है।

2- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 16 (1) (iv) को संशोधित कर "निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग" को "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

3- अतः उपर्युक्त के अनुपालन में राज्य शासन, एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2009 को अधिकमित करते हुए उक्त अधिसूचना के अनुक्रमांक 24 के तहत अंकित प्रविष्टि "निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग" को "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि" के द्वारा प्रतिस्थापित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
 तथा आदेशानुसार

*Achay*  
 30/5/12

(डॉ० अनिल चौधरी)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

पृ. क्रमांक एफ-20-3 / 25-2 / 2008 / आजादि  
प्रतिलिपि.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2012  
31 MAY 2012

1. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय, नई दिल्ली
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
4. निज सचिव, मान. संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा. तथा अनु. जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर
7. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, खान माकेट, नई दिल्ली-110003
8. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग, लोक नायक भवन, खान माकेट, नई दिल्ली-110003
9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, रायपुर
10. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. आयुक्त, जनसंपर्क, रायपुर
12. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
13. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
14. सचिव, राज्य अनुसूचित जन जाति आयोग, रायपुर
15. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर
16. उप संचालक, शास. मुद्रणालय, राजनांदगाँव की ओर इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु
17. आदेश प्रति

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**  
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

17 JUL 2014

नया रायपुर, दिनांक

जुलाई, 2014

क्रमांक/एफ-20-3/2009/25-2/ : : राज्य शासन, एतद् द्वारा, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2009 एवं दिनांक 31 मई, 2012 को अतिष्ठित करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथासंशोधन नियम, 2013 के नियम 16 के अंतर्गत निम्नानुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिटारिंग समिति का पुनर्गठन करता है।

1.	मान.मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान.मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन,गृह विभाग	सदस्य
4.	मान.श्रीमती कमला पाटले,संसद सदस्य	सदस्य
5.	मान.श्री विक्रम उसेण्डी, संसद सदस्य	सदस्य
6.	मान.श्री दिनेश कश्यप, संसद सदस्य	सदस्य
7.	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, विधायक	सदस्य
8.	मान.डॉ. सनम जांगड़े, विधायक	सदस्य
9.	मान.श्री नवीन मारकण्डेय, विधायक	सदस्य
10.	मान.श्री दयालदास बघेल, विधायक	सदस्य
11.	मान.श्रीमती सरोजनी बंजारे, विधायक	सदस्य
12.	मान.श्रीमती चम्पादेवी पावले, विधायक	सदस्य
13.	मान.श्री राजशरण भगत, विधायक	सदस्य
14.	मान.श्री रोहित कुमार साय, विधायक	सदस्य
15.	मान.श्रीमती सुनीती सत्यानंद राटिया, विधायक	सदस्य
16.	मान.श्री गोवर्धन सिंह मांझी, विधायक	सदस्य
17.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	सदस्य
18.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,गृह विभाग	सदस्य
19.	पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़	सदस्य
20.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
21.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग	सदस्य/संयोजक

//2//

1/2/1

2- यह समिति अधिनियमों के अंतर्गत उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधा तथा उससे संबद्ध अन्य मामले तथा अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों और अभिकरणों की भूमिका तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों पर विचार कर सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(डॉ० अनिल चौधरी)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

पृ०क्रमांक/एफ-20-3/2009/25-2/

नया रायपुर, दिनांक जुलाई, 2014

प्रतिलिपि :-

17 JUL 2014

1. मान.मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग/गृह विभाग/खाद्य विभाग मंत्रालय, नया रायपुर।
3. समस्त माननीय सदस्यगण (नाम से) .....
4. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर।
9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, पुलिस मुख्यालय, रायपुर।
10. निदेशक, भारत सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
11. सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
12. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, 204, मैत्रीविहार, अमीरपेट, हैदराबाद-500 038
13. उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।
14. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।
15. आयुक्त, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर।
16. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
17. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
18. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर।
19. सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर।
20. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 150 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
21. आर्डर बुक।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

17 OCT 2016

नया रायपुर, दिनांक

क्रमांक/एफ-20-3/2009/25-2/ : : राज्य शासन, एतद् द्वारा, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 जुलाई, 2014 को अतिष्ठित करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 संशोधन नियम, 2016 के नियम 16 के अंतर्गत निम्नानुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति का पुनर्गठन करता है।

1.	मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	पदेन सदस्य
4.	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	पदेन सदस्य
5.	मान. श्री पुन्नूलाल मोहले, मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामोद्योग, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	सदस्य
6.	मान. श्री दयालदास बपेल, मंत्री, सहकारिता, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग	सदस्य
7.	मान. श्री रामविचार नेताम, राज्य सभा सदस्य	सदस्य
8.	मान. श्रीमती कमला पाटले, लोक सभा सदस्य	सदस्य
9.	मान. श्री विक्रम उसेण्डी, लोक सभा सदस्य	सदस्य
10.	मान. श्री दिनेश कश्यप, लोक सभा सदस्य	सदस्य
11.	मान. श्री राजशरण भगत, विधायक, जशपुर एवं उपाध्यक्ष सरगुजा विकास प्राधिकरण (राज्यमंत्री दर्जा)	सदस्य
12.	मान. श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव, वाणिज्यिक कर, नगरीय प्रशासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
13.	मान. श्रीमती चम्पादेवी पावले, संसदीय सचिव, वन विधि एवं विधायी कार्य विभाग	सदस्य
14.	मान. श्री गोवर्धन सिंह मांडवी, संसदीय सचिव, राजस्व एवं आदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
15.	मान. डॉ. सनम जांगड़े, विधायक, बिलाईगढ़	सदस्य
16.	मान. श्री नवीन मारकण्डेय, विधायक, आरंग	सदस्य
17.	मान. श्रीमती सरोजनी बंजारे, विधायक, डोंगरगढ़	सदस्य
18.	मान. श्री रोहित कुमार साय, विधायक, कुनकुरी	सदस्य
19.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	पदेन सदस्य
20.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग	पदेन सदस्य
21.	पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़	पदेन सदस्य
22.	निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	पदेन सदस्य
23.	निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	पदेन सदस्य
24.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भागसाधक सचिव (अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग)	पदेन सदस्य/संयोजक

1/21/

11/10/16

1/21/


dl

1/2/1

2- यह समिति अधिनियमों के अंतर्गत उपबंधों के कार्यान्वयन, अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15 क की उपधारा (11) यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुँच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अधिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों जिनके अंतर्गत नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी की रिपोर्टें भी हैं, का पुनर्विलोकन कर सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
(डी.डी.कुलार्नी)  
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

पृ०क्रमांक/एफ-20-3/2009/25-2/

नया रायपुर, दिनांक 7 OCT 2016

प्रतिस्तिपि :-

1. मान.मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग/गृह विभाग/खाद्य विभाग /सहकारिता, संस्कृति, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. विशेष सहायक, मान.संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. समस्त माननीय सदस्यगण (नाम से) .....
5. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर।
10. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, पुलिस मुख्यालय, रायपुर।
11. निदेशक, भारत सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
12. सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
13. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, 204, मैत्रीविहार, अमीरपेट, हैदराबाद-500 038
14. उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, आर-26 अर्बन्ति विहार, सेक्टर-2 पौ० रविवारा, रायपुर।
15. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर।
16. आयुक्त, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर।
17. समस्त संचारीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
18. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
19. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर।
20. सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर।
21. सचिव, छ.ग.राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पुगना नरिंग हास्टल, डी.के.एस.भवन परिसर, रायपुर।
22. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर के और गज़पत्र में प्रकाशनार्थ।
23. आर्डर बुक।

  
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

१६